31.3.25 पत्रावली पेश हुआ। TDR सेंगांव से थाना का Report
प्राप्त हो गई है तथा आज कोई कार्यवाही
शेष नहीं है अतः पत्रावली [illegible] इन्द्राज
की जावे बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 5/2022 तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

नगर पालिका सांगोद जरिये अधिषाशी अधियंता सांगोद तहसील सांगोद। —प्रार्थीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थी) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
R COPYING FEES ONLY

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगोद से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि पटवार मण्डल सांगोद की रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा व मौकानुसार ग्राम टोंक तहसील सांगोद के खसरा नंबर 161 रकबा 0.62 में से 0.28 हैक्टर दक्षिणी, खसरा नंबर 162 रकबा 0.36 में से 0.21 हैक्टर पश्चिमी व दक्षिणी व खसरानंबर 226/165 रकबा 1.58 में से 0.05 हैक्टर पश्चिमी भूमि आमजन/कृषकगणों

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

द्वारा आम रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है जो स्थानीय निकाय नगरपालिका सांगोद के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त खसरा नम्बरान की प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में "आम रास्ता" के रूप में दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू-अभिलेख निरीक्षक सांगोद द्वारा भी रिपोर्ट पटवारी का मिलान कर उपरोक्त खसरा नंबरान में "आम रास्ता" दर्ज किये जाने की अभिशंषा की जिसके उपरान्त तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर रिपोर्ट पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षण की अनुशंषा तथा मौके की स्थिति के अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि को राजस्व रिकार्ड में "आम रास्ता" दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

चूंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 में 'मानचित्र एवं फील्डबुक का संधारण" एवं धारा 132 में 'वार्षिक रजिस्टरों के संधारण' के प्रावधान है। धारा 131 में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है। धारा 132 में भू–अभिलेख अधिकारी पर दायित्व रखा गया है कि वह वार्षिक रजिस्टरों में निर्धारित रीति से उन सब परिवर्तनों को जो हो जाएं, लिखवायेगा। साथ ही राजस्थान भू-राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत भू–अभिलेखों का संधारण किया जाता है। राजस्थान भू– राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 60 में नक्शों में दुरुस्ती करने के प्रावधान हैं। रास्ते हेतु नक्शे में संशोधन करने हेतु नियम 60(एच) के प्रावधान हैं। इस संबंध में राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3(2) राज.–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के द्वारा चालू स्थाई रास्तों को राजस्व अभिलेख में अंकन करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित किये जाते हैं कि ग्राम टोंक तहसील सांगोद के खसरा नंबर 161 रकबा

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड कार्यालय सांगोद

0.62 में से 0.28 हैक्टर दक्षिणी, खसरा नंबर 162 रकबा 0.36 में से 0.21 हैक्टर पश्चिमी व दक्षिणी व खसरानंबर 226/165 रकबा 1.58 में से 0.05 हैक्टर पश्चिमी भूमि को प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व रिकार्ड में "गै.मु.रास्ता" दर्ज किया जावें। उक्त रास्ता स्थानीय निकाय नगरपालिका सांगोद के खाते में यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

कोर्ट फीस COURT FEE 1 रु. Re.1 भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

कोर्ट फीस COURT FEE 1 रु. Re.1 भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY